पत्रांक 5प/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 /

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 24-01- 2014

विषय : तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के लिए भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को राज्य की पंचायत राज संस्थाओं द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के अलावे अन्य कार्यो में भी व्यय करने की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के लिए वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष सामान्य बुनियादी अनुदान (General Basic Grants) एवं वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

2. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से राशि के उपयोग के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका में राशि के उपयोग के संबंध में कोई विशेष दिशा–निर्देश नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि के उपयोग के संबंध में यह परामर्श दिया गया है कि उचित मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना (Proper manpower and infrastructure), जैसे कार्यालय भवन, आई०टी०सी० (ई–पंचायत), इत्यादि के बिना पंचायत राज संस्थाएँ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। अतः राज्य को प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो के लिए तेरहवें वित्त आयोग की राशि का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र द्वारा अनुदान जारी करने की तारीख के पश्चात् राज्य सरकार को 5 दिनों के अन्दर इस अनुदान राशि को पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराना है, अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक की सूद दर पर उक्त निर्धारित अवधि के बाद की विलम्ब अवधि हेतु सूद सहित राशि पंचायतों को उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

3. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के प्रत्येक किस्त की राशि के लिए प्रत्येक अवसर पर पंचायत राज संस्थाओं को राशि की स्वीकृति में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या 14 दिनांक 13.12.2011 से निम्नांकित निर्णय लिया गया –

(i) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को भारत सरकार से विमुक्ति की प्रत्याशा में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रथम किस्त तथा वित्तीय वर्ष के छः माह बीतने के तत्काल बाद द्वितीय किस्त संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट में उपबंधित राशि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच 10:20:70 के अनुपात में वितरित की जाये।

(ii) राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु अन्य योजनाओं से राशि उपलब्ध नहीं होने पर आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण में किया जायेगा।

(iii) जिन जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि से हो चुका है एवं अब आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकता नहीं रह गयी है अथवा जमीन की अनुपलब्धता के कारण राशि का अनुपयोग रह जाने की संभावना है, इस परिस्थिति में इस राशि का उपयोग उचित मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना (Proper manpower and infrastructure), जैसे कार्यालय भवन, पंचायत भवन की मरम्मति/निर्माण, आई०टी०सी० (ई–पंचायत), इत्यादि पर भी किया जा सकेगा।

(iv) अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे, जो राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के कोर बैंक खातों में अविलम्ब उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(v) वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक इस राशि की विमुक्ति हेतु वित्त विभाग की सहमति तथा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और विभागीय प्रधान सचिव/सचिव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रथम किस्त तथा वित्तीय वर्ष के छः माह बीतने के तत्काल बाद द्वितीय किस्त की राशि का आवंटन आदेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत होंगे। राज्य सरकार के तत्संबंधी वित्तीय नियम एवं अनुदेश इस हद तक शिथिल समझे जायेंगे।

(vi) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिवर्ष प्राप्त होनेवाली राशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा सूचित (अनुमानित) राशि के आलोक में प्रतिवर्ष राशि स्वीकृत की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि से यदि भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होती है तो अगली किस्त से उतनी राशि की कटौती कर पंचायत राज संस्थाओं को राशि स्वीकृत/आवंटित की जायेगी। यदि स्वीकृत राशि से उस किस्त के लिए भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होती है, तो शेष अधिक राशि पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत की जायेगी।

(vii) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद द्वारा अधीनस्थ पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि वितरित किये जाने में जिला परिषद अध्यक्ष अथवा जिला परिषद की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) जिला परिषदों, पंचायत समितियों अथवा ग्राम पंचायतों की संख्या में परिवर्त्तन होने पर राशि का समानुपातिक वितरण परिवर्तित संख्या के आधार पर किया जायेगा जो ऐसी संख्या परिवर्त्तन के बाद दी जानेवाली किस्त से प्रारंभ होगा।

(ix) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि का ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के बीच वितरण हेतु निम्नांकित बजट शीर्ष में आवश्यक राशि का बजट उपबंध किया जायेगा, जिससे ही राशि की निकासी की जायेगी :–

जिला परिषदों के लिए – गैर योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता

पंचायत समितियों के लिए – गैर योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्त्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता

ग्राम पंचायतों के लिए – गैर योजना मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0001–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता

4. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत राशि का उपयोग आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य कराने की अनिवार्यता के परिपेक्ष्य में जमीन की अनुपलब्धता के कारण आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं लिए जा सके हैं। इस कारण पंचायत राज संस्थाओं के पास काफी राशि अवशेष है।

5. राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को स्वीकृत राशि में से अव्यवहृत राशि एवं 2014–15 तक इन मदों में प्राप्त होने वाली राशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(i) तेरहतें वित्त आयोग की राशि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाना है, बशर्ते आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध हो। तदनुसार तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाएँ, जिन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी हैं, उनका निर्माण कार्य अनिवार्यतः लेगी।

(ii) तीनों स्तरों पर भूमियुक्त आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य लेने के उपरांत यदि राशि बच जाती है तो उससे निम्नवत अन्य कार्य भी लिये जा सकते है :–

(क) बसावटों में PCC पथ/इन्टरलोकिंग टाइल पथ एवं नाला निर्माण।

(ख) 250 से कम की आबादी वालें टोलों का मुख्य पथ से सम्पर्क पथ पी०सी०सी० या इन्टरलोकिंग टाईल्स सड़क।

(ग) प्रखंड स्तर पर प्रखंड परिसरों में अवस्थित सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार एवं वार्षिक रखरखाव (पंचायत समिति के अनुमोदन के उपरान्त)।

(ध) जिला परिषदों के उपयोग हेतु जिला परिषद का सभाकक्ष एवं आई०टी० सेंटर की स्थापना।

(च) जिला परिषद के डाकबंगले का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव।

(iii) कार्यहित में अनुमान्य कार्यों की सूची को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 'उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति'' द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा।

(iv) राशि स्वीकृति की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

विश्वासभाजन,

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5घ/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 / पटना, दिनांक 24-01- 2014

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5प/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 / पटना, दिनांक 24-01– 2014

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5प/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 / पटना, दिनांक 24-01– 2014

प्रतिलिपि – सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5प/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 / पटना, दिनांक 24-01– 2014

प्रतिलिपि – वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5प/ते०वि०आ०–1–01/2013/पं०रा०/ 43 / पटना, दिनांक 24-01– 2014

प्रतिलिपि – आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.1.14

प्रधान सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।